

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमू

गिरधारी बनाम गंगा देवी वगै०

CMS-2024/252

मुकदमा नम्बर :- 126/2024

वाद पत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

विशेष विवरण

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	04.12.2024	<p>वकील वादी ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। धारा 80(2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक <u>02.01.25</u> को पेश हो।</p> <p>2/1/25</p> <p>10/1/25</p> <p>वकील वादी ने प्रा.पत्र पत्रावली तलबी का पेश करने पर पत्रावली तलबी के गयी। वकील वादी ने प्रा.पत्र विद्वा का पेश कर विवेक किया कि पत्रावली के तथ्य सजील हो गया है प्रकर में आगे कोई कार्यवाही नहीं चलाने को प्रा.पत्र विद्वा के अन्तर्गत प्रदान की पत्रावली व प्रा.पत्र विद्वा का अन्तर्गत किया गया। प्रा.पत्र विद्वा का स्वीकार किया प्रकर प्रकर के विद्वा करने के अन्तर्गत के जाते हैं पत्रावली प्रकर प्रकर के तलबी के तथ्य सजील है तथा दाखिल प्रकर है।</p>	<p>2/1/25</p> <p>10/1/25</p> <p>गिरधारी</p> <p>वकील वादी (उरनी आर.टी.एक्ट.)</p> <p>10/1/25</p>

सहायक कलक्टर चौमू चौमू जयपुर (ग्रामीण)